|| कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जोधपुर ||

(जोधपुर एवं बीकानेर संभाग)

क्रमांकः उ.प.म./स्था./प्र0भर्ती 2018/बीका.मण्डल/2018–19/9338-49 दिनांकः 29-08-2019

:: आदेश ::

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम– 1998 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में जोधपुर एंव बीकानेर मण्डल हेतु गठित चयन समिति द्वारा आरक्षित सूची के निम्नांकित आशार्थियों को प्रहरी पद पर बीकानेर मण्डल से चयन किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित शर्तो के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पर उनके नाम के सामने अंकित कारागृह पर पदस्थापित किया जाता है।

नव नियुक्त अभ्यर्थी उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर के समक्ष दिनांक **11.09.2019** को आवश्यक रूप अपनी उपस्थिति देगें। साथ ही नियुक्ति आदेश में वर्णित शपथ पत्र संलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करवाकर एंव 06 फोटो (जो कि मेडिकल के समय प्रस्तुत की गई थी) आवश्यक रूप से साथ लेकर आवे।

आशार्थियों की पदस्थापन सूचीः–

क्र.स.	रोल नं.	नाम आशार्थी	पिता का नाम	जाति श्रेणी	चयन श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	27010304000312	प्रियंका	श्री माधुराम	OBC	DIV-Female	07.06.1994	जिला कारा0 हनुमानगढ
2	27020302000308	मनोज कुमार	श्री हवा सिंह	OBC	Ex-man	20.02.1978	केन्द्रीय कारा0 बीकानेर
3	21010301000012	श्रवण राम	श्री भीकाराम	OBC	Ex-man	07.07.1983	केन्द्रीय कारा0 बीकानेर

01. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ–डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 12800/– प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही प्रहरी पद का पे मेट्रिक्स के लेवल L-3 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।

02. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।

03. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होगें एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।

04. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।

05. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्ड़र वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।

06. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।

07. वित विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।

08. वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम बीमा योजना प्रभावी होगी।

09. कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए–II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।

11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश कमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।

12. अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगें, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगें तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होंगीं। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।

13. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तो के अध्यधीन है।

14. अभ्यर्थियों को रेंज कार्यालय पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगां

15. यह कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक **11.09.2019** को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावें।

16. आवश्यक निर्देश संलग्न है।

आशार्थियों को नियुक्ति पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

उक्त सभी नव नियुक्त प्रहरियों का नियत पारिश्रमिक उनके नाम के सामने अंकित कारागृह द्वारा आहरित कर भुगतान किया जायेगा।

(कैलाश त्रिवेदी)
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जोधपुर (राज0)

<u>प्रतिलिपिः— निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—</u>

01. श्रीमान् उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप—12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. श्रीमान् महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
03. वित्तिय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर
04. अधीक्षक / उपाधीक्षक केन्द्रीय / जिला कारागृह, ... को उक्त आशार्थियों के एन.पी.एस. फार्म एंव पे—मैनेजर हेतु भरे हुये फार्म पत्र के साथ सलंग्न प्रेषित कर लेख है कि आशार्थियों को नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करावें।
05. उपाधीक्षक प्रशिक्षण शाखा, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
06. श्री / सुश्री / श्रीमति...
. को ज्वाईनिंग निर्देशों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि बंध पत्र (पचास रूपये के स्टाम्प पर), दहेज न लेने के संबंध में, धूम्रपान एंव गुटखा सेवन न करने एंव संतानों के संबंध में शपथ—पत्र, संलग्न प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल) एंव मेडिकल के समय प्रस्तुत फोटो 06 प्रति में आवश्यक रूप से साथ लेकर अपनी उपस्थिति उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर के समक्ष दिनांक **11.09.2019** को आवश्यक रूप से देवें।(ज्वाइनिंग निर्देश एंव शपथ—पत्रों के प्रारूप संलग्न है)
07. संबंधित की निजी पत्रावली / रक्षक पत्रावली।
08. कम्पयूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जोधपुर (राज0)

प्रहरी भर्ती 2018 में आरक्षित सूची से चयनित अभ्यर्थियों को प्रहरी पद पर उपस्थित होने के संबंध में ज्वाईनिंग निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज जोधपुर पर निर्धारित दिनांक **11.09.2019** को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें।
2. उपस्थित होते समय निम्नांकित मूल दस्तावेज (*यदि पूर्व में जमा नही करवाए गये हो*) तो अपने साथ लावें।
   इसके अभाव में नियुक्ति पर उपस्थिति मान्य नही होगी।
   - आयु प्रमाण पत्र। (सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र)
   - जाति प्रमाण पत्र। (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग)
   - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व अंकतालिका।
   - मूल निवास प्रमाण पत्र।
   - यदि पूर्व में कही कार्यरत है तो पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   - भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट।
   - आधार कार्ड ।
   - पेन कार्ड ।
3. बन्ध पत्र (Bond) पचास रुपये के INDIAN-NON-JUDICAL स्टाम्प पर अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारुप विभागीय वेबसाईट http://home.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है)
4. यदि विवाहित है तो दिनांक 01.02.2002 को एवं उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ पत्र **(स्टाम्प पर)** । (विभागीय वेबसाईट http://home.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है)
5. विवाहित के द्वारा उनके "'विवाह के समय दहेज नहीं लिया गया है " और अविवाहित है, तो उनके द्वारा "'विवाह में दहेज नहीं लूँगा" का शपथ पत्र **(स्टाम्प पर)** अनिवार्य रुप से देना होगा।
6. धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता शपथ पत्र **(स्टाम्प पर)** ।
7. 06 पासपोर्ट साईज फोटो।
8. प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होते समय चयनित अभ्यर्थी अपने साथ अग्रिम मैस फण्ड / अन्य व्यय के लिये राशि 3000 / – रूपये लेकर आऐं एवं निजी उपयोग के वस्त्र, एक खाकी सिली–सिलाई टेरीकोट की वर्दी, रोजमर्रा से काम आने वाले सामान एवं बिस्तर आदि लेकर आए।
9. चयनित अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं के बैंक खाते की पासबुक लेकर आएगें।

–: अनुबंध–पत्र :–

मैं..पुत्र/पुत्री श्री..

आयु................. वर्ष, जाति.................................... निवासी..
शपथ पुर्वक बयान करता हूं कि मेरा प्रहरी पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जोधपुर के आदेश कमांक.. दिनांक.......................
के आदेशानुसार चयन हुआ हैं ।

मेरी प्रहरी पद पर उपस्थिति दिनाकं से दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहूंगा/चाहूंगी या अन्य पद ग्रहण करना चाहूंगा/चाहूंगी तो ऐसा करने से पूर्व मुझे प्रशिक्षण अवधि में मेरे द्वारा प्राप्त समस्त वेतन व भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करवा दूंगा/दूंगी ।

स्थानः–

दिनांकः–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

–: सत्यापन :–

मैं उपरोक्त बन्धपत्र निष्पादनकर्ता सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उक्त बन्ध पत्र की समस्त बातें मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

–: अनुप्रमाणित :–

श्री...पुत्र/पुत्री श्री ....आयु...................
वर्ष जाति.................... निवासी .... को अनुप्रमाणित करता हूं ।

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक

(नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटेरी सहित)

विवाह के समय दहेज न लेने व भविष्य में नहीं लेने के संबंध

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी... सशपथ बयान करता हूं/करती हू कि "मेरा विवाह श्रीमति/श्री .... के साथ दिनांक .... को हुआ था । विवाह में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया/दिया हैं ।"

अथवा

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी... सशपथ बयान करता हूं/करती हू कि "मैं अभी अविवाहित हूं तथा भविष्य मैं होने वाले विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लूगां/नहीं दूंगी ।

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

(नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटेरी सहित)

संतानो की संख्या के संबंध में शपथ–पत्र

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी.. सशपथ बयान करता हूं/करती हू कि :–

01. यह कि मेरे दिनांक 01.06.2002 से पूर्व संतानो की संख्या .... हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं–

क.सं.	संतान का नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक

02.यह कि मेरे दिनांक 01.06.2002 से पश्चात संतानो की संख्या .... हैं जिनका विवरण

निम्नानुसार हैं–

क.सं.	संतान का नाम	सम्बन्ध	जन्म दिनांक

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

(नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटेरी सहित)

धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ–पत्र

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी.. सशपथ बयान करता हूं/करती हू कि "धूम्रपान एंव गुटखा का सेवन नहीं करूंगा/करूंगी" ।

दिनांकः–

हस्ताक्षर शपथ कर्ता